न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म0प्र0) निगरानी 1002-III-15

श्री कमलेश्वर दुबे एड. द्वारा पेश / 22.4.15

1. मुस0 विमला देवी पत्नी स्व0 श्री रमाकान्त पयासी, उम्र–लगभग 54 वर्ष
2. बालेश्वर पयासी तनय स्व0 श्री रमाकान्त पयासी, उम्र– 37 वर्ष

   दोनों निवासी बकिया कालोनी पड़रा रीवा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

......................*निगरानीकर्ता/आवे0गण*

112 / 22.4.15

बनाम

1. साधूराम तनय हरदीन राम ब्रा0 (लाबल्द फौत)
2. तीरथ प्रसाद शुक्ला तनय केशव प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम दुआरी, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. उमाकांत पयासी तनय स्व0 श्री बैजनाथ पयासी, उम्र– 54 वर्ष
4. लक्ष्मीकान्त पयासी तनय स्व0 श्री बैजनाथ पयासी, उम्र–52 वर्ष
5. चन्द्रकांत पयासी तनय स्व0 श्री बैजनाथ पयासी, उम्र–46 वर्ष

   तीनों निवासी ग्राम बकिया, तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)
6. शासन मध्यप्रदेश ....*गैर निगराकार/अनावेदकगण*

क्रमांक 5151 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... प्राप्त 23-4-15 राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तह0 हुजूर के राजस्व प्र.क. 371/अ–6/12–13 आदेश दिनांक 16.03.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न है:–

यह कि आवेदकगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ0ख0नं0 20/1 रकवा 0.05 ए0 स्थित मौजा पड़रा रीवा, प0ह0 ढेकहा तह0 हुजूर, जिला रीवा के नामांतरण बावत् आवेदन–पत्र जरिए पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 07.04.1979 जो आवेदकगण के कमशः ससुर व बाबा स्व0 बैजनाथ पयासी के पक्ष में पूर्व भूमिस्वामी अना0क0 1 यानी साधूराम द्वारा निष्पादित की गई थी के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। चूंकि दिनांक 07.04.1979 को तहरीर पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर कतिपय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 10002/III/15 ...... जिला रीवा ....

मुस० बिमला देवी विरुद्ध श्री धूराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23. 2. 2016.	यह निगरानी तहसीलदार तह० हुजूर के प्र०क्र० 37/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16-3-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता श्री कमलेश्वर दुबे को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निग० मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16-3-15 का परिशीलन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि विवादित भूमि वर्तमान में अना० क्र 2 तीरथ प्रसाद शुक्ला के नाम दर्ज अंकित है जो उनके नाम वसीयत के आधार पर नामांतरित हुई होना प्रकट हो रही है, जिसके संबंध में विवाद का विचारण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है इस तथ्य को आवेदिका द्वारा भी स्वीकार किए जाने का उल्लेख प्रश्नाधीन आदेश में किया गया है। यहाँ यह तथ्य विचारणीय है कि जब विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण न्याय निर्णय हेतु अनु० अधि० के न्यायालय में प्रचलित है तब आवेदिका को अपना पक्ष समर्थन अनु० अधि० के समक्ष प्रचलित प्रकरण में ही किया जाना श्रेयस्कर होगा। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में तह० द्वारा लिया गया निर्णय उचित है जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-2 हक अर्जन संबंधी अभिलेख जो उनके पास उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हक अर्जन एवं नामांतरण का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, अनुविभागीय अधिकारी के	

[क्र. प. उ.

K-1004/11/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
शिमला	उपरोक्त	

समक्ष उनके न्यायालय में प्रचालित प्रकरण में प्रस्तुत कर अपना पक्ष समर्थन करें। इसके साथ ही अनु-अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय के प्रकरण में उभयपक्ष को विधिवत उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले एक अर्जन संबंधी अभिलेखों के संबंध में विधि एवं संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत परीक्षण जांच उपरांत न्यायसंगत स्पष्ट एवं तर्क संगत निर्णय पारित करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अनु० अधि० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। द०रा०रि० हो।

सदस्य